

दिनांक 20/10/22 को पत्र

20/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा अनु.। पिछाची सं. 1 व 2
की ओर से अधिवक्ता भुवनाशम ने वकालतनामा पेश
किया तथा धारिणा पत्र अर्जित आदेश 33 नियम 04
संपादन द्वारा 15। 02 वाले (उत्तरफा) अंतरिम दंड्यगुन
आदेश दिनांक 12/02/2020 को निरस्त बाबत पत्र
किया जिले शामिल पत्रावली किया जाल है पत्रावली
वाले धारिणा पत्र के जवाब हेतु पत्रावली किया
दिनांक 28/11/22 को पत्र

28/11/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीर्घ कार्यो में व्यस्त है, मिसल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
आईन्दा दिनांक 02/12/22 को पेश हो।

02/12/22

पत्रावली पेश हुई। धारिणा वकील अनु.।
पुंके मूलवाद को अक्षय पंखी अक्षय छाजरी से
खारील। किया जा-पुका ही कल वर आवेदन को अक्षय
पलाने का कोई भी स्थिति नहीं ही अतः इस आवेदन
की कार्यवाही अभी तक पर प्रभाव की जाती है।

पत्रावली फौजिल कुमार कोल दाखिल कर
को) मूलवाद के हलगत को।

(SDO) अक्षय

